दिनाँक-१५.१०.२०२२

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त शिवकुमार न्यायालय में उपस्थित है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण पत्रावली में मूल कागजात शामिल नहीं हैं। मूल कागजात के सम्बन्ध में दाण्डिक अभिलेखागार, जनपद न्यायालय-कानपुर देहात से आख्या दिनाँक- १५.१०.२०२२ को प्राप्त हुई है, जिसमें यह अंकित है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दाण्डिक अपील संख्या- ४३१/२००८, सत्र परीक्षण संख्या- २६७/२००५, अन्तर्गत धारा- ३०७ भा०दं०सं०, थाना- भोगनीपुर में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भेजी जा चुकी है, जो प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत पत्रावली में पी०डब्लू० -१ सोनेलाल को परीक्षित कराया गया है, जिस कारण मूल कागजात के अभाव में अग्रिम विचारण किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उक्त सम्बन्ध में पत्र प्रेषित हो। पत्रावली दिनाँक- ३१.१०.२०२२ को प्रस्तुत हो।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय(14 वॉ वित्त आयोग)
कानपुर देहात।

Digitally signed by Nijender Kumar
Date: 2022.10.15 15:03:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court